रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062024-254589
CG-DL-E-06062024-254589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2108] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946
No. 2108] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2024

का. आ. 2210(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 3 के उप-पैरा (6) के परंतुक और पैरा 5 के उप-पैरा (ग) के अनुसरण में, यह आवश्यक और समीचीन समझने पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का 10 दिसंबर, 2024 तक या यथास्थिति, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन किए जाने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, विस्तार किया जाता है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2276 (अ), तारीख 11 जून, 2021 का निम्नलिखित और संशोधन किया जाता है, अर्थात्:-

(क) पैरा 2 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और छह मास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और छह मास" शब्द रखे जाएंगे;

[फा. सं. जे-11013/43/07-आईए. II (I) (भाग)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 2276 (अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और इसमें तत्पश्चात संख्यांक का. आ. 754 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2024

S.O. 2210(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the proviso to sub- paragraph (6) of paragraph 3 and sub-paragraph (c) of paragraph 5 of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide, number S.O 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government being considered necessary and expedient, hereby extends the term of the Chairman and Members of the State Level Environmental Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh and the term of the Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh for a period up to 10th December, 2024 or till the re- constitution of the State Level Environment Impact Assessment Authority and the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, whichever is earlier, and for that purpose makes further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment Forests and Climate Change number S.O. 2276 (E), dated the 11th June, 2021, namely:-

(a) in paragraph 2, for the words “three years”, the words “three years and six months” shall be substituted;

(b) in paragraph 6, for the words “three years”, the words “three years and six months” shall be substituted.

[F. No. J-11013/43/07.IA.II(I)(Pt.)]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

NOTE. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2276 (E), dated the 11th June, 2021, and subsequently amended vide number S.O 754(E), dated 16th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.06.06 20:57:35 +05'30'